प्रेस नोट थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक-17.10.2025

“थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना पुवायाँ पर पंजीकृत अपहरण कर हत्या करने से सम्बन्धित अभियोग में वांछित चल रहे 25 हजार के ईनामी अभियुक्त दानिश को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा.315 बोर,02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस नाल में फसा हुआ व एक अदद मोटरसाइकिल(बिना नम्बर प्लेट) बरामद”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशनुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुखविर की सूचना थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना पुवायाँ पर पंजीकृत अपहरण कर हत्या करने से सम्बन्धित अभियोग में वांछित चल रहे 25 हजार के ईनामी अभियुक्त दानिश को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा.315 बोर,02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस नाल में फसा हुआ व एक अदद मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.10.2025 को थाना पुवायां पर वादी श्री सूरज दीक्षित पुत्र श्री अवनीश दीक्षित निवासी मोहल्ला कसभरा तकिया, कस्बा व थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 06.10.2025 को सायं लगभग 06 बजे वादी के पिता अवनीश दीक्षित (उम्र लगभग 42 वर्ष) को चालक के रूप में रिंकू पाण्डेय द्वारा अपनी गाड़ी संख्या UP 27 BB 5236 (टाइवर, सफेद रंग) बुकिंग में सितारगंज लेकर जाने हेतु भेजा गया था तथा 07.10.2025 को वापस आने हेतु कहा गया था, किन्तु वह 08.10.2025 तक वापस नहीं आए। उक्त बुकिंग गुरसेवक नामक व्यक्ति द्वारा कराई गई थी, जो वर्तमान में थाना रोजा क्षेत्र में निवास कर रहा था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुवायां पर गुमशुदगी संख्या 0038/25 पंजीकृत कर गुमशुदा की तलाश प्रारम्भ की गई। परंतु 24 घंटे व्यतीत होने के पश्चात भी गुमशुदा का कोई सुराग न लगने पर दिनांक 09.10.2025 को उक्त गुमशुदगी को मु0अ0सं0 0739/2025 धारा 140(1) बीएनएस-2023 में तरमीम कर परिवर्तित किया गया तथा विवेचना अपराध निरीक्षक श्री राजेश कुमार द्वारा प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 09.10.2025 को गुमशुदा अवनीश दीक्षित का शव थाना रोजा क्षेत्र में बरामद हुआ। इस पर मुकदमे में धारा 103(1)/238 बीएनएस-2023 की वृद्धि की गई। अन्यत्र, थाना पारा, जनपद लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 702/2025 धारा 103(1)/238A/309(4) बीएनएस-2023 में पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ अमरजीत सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी नेवदिया इटारा, थाना पिहानी, जनपद हरदोई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त अजय द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने गुरसेवक पुत्र बलविंदर निवासी ग्राम पटई, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर (हाल निवासी थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर) एवं दानिश पुत्र ताहिर निवासी कमलनैनपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर के साथ मिलकर उक्त गुमशुदा व्यक्ति से गाड़ी लूटकर उसकी हत्या की थी। अभियुक्त अजय के बयान के आधार पर मुकदमे में अभियुक्तगण 1. अजय उर्फ अमरजीत सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी नेवदिया इटारा, थाना पिहानी, जनपद हरदोई 2. दानिश खां पुत्र ताहिर निवासी कमलनयनपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमे में धारा 309(4)/238(क)/317(2) बीएनएस-2023 की वृद्धि की गई। मुकदमे में वांछित अभियुक्त गुरसेवक पुत्र बलविंदर निवासी ग्राम पटई, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर (हाल निवासी थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर), जनपद लखनऊ के थाना पारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 702/2025 धारा 103(1)/238A/309(4) बीएनएस-2023 में पुलिस मुठभेड़ के दौरान मारा जा चुका है।

आज दिनांक 16/17.10.2025 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायां मय पुलिस बल शान्ति एवं कानून-व्यवस्था की देखरेख में थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अवनीश दीक्षित के अपहरण एवं हत्या में संलिप्त अभियुक्त दानिश खां नेपाल भागने की फिराक में शाहजहाँपुर से खुटार होते हुए नेपाल की दिशा में जा रहा है। आप तत्काल डी.पी.एस. स्कूल के पास बने बाई पास पुल के पास खुटार की तरफ आ जाओ। सूचना के आधार पर पुलिस टीम तत्काल डी.पी.एस. स्कूल के समीप बने बाईपास पुल के पास पहुंची, जहां

प्रभारी निरीक्षक द्वारा दो टीमों का गठन कर पुलिसकर्मियों को बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर आवश्यक घेराबंदी की गयी। पुलिस टीमों द्वारा मौके पर मेन रोड पर वाहनों की चेकिंग प्रारम्भ की गयी। कुछ समय पश्चात एक मोटरसाइकिल (शाहजहाँपुर दिशा से आती हुई) दिखाई दी। जिसे रोकने हेतु इशारा किया गया तो चालक ने मोटरसाइकिल की गति धीमी की, तभी अपराध निरीक्षक द्वारा मय टीम के उस व्यक्ति को आगे से घेर लिया गया। खुद को घिरा देख उक्त व्यक्ति अचानक मोटरसाइकिल गिराकर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए सड़क से बड़ागांव की दिशा में स्थित धान के खाली खेतों की ओर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा अपनी आत्मरक्षा में सिखाये गये तरीके से बचते बचाते रोड के किनारे पडी मिट्टी के ढेर व रोड़ी के ढेर की आड लेकर जवाबी फायरिंग की गई, जिसके परिणामस्वरूप उक्त व्यक्ति सड़क से लगभग 20 कदम की दूरी पर धान के खेत में गिर पड़ा। पुलिस टीम द्वारा पास जाकर देखा गया तो उसके दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली का घाव था तथा रक्तस्राव हो रहा था जिसे तत्काल एक गमछे के द्वारा रक्तस्राव रोकने हेतु बांधा गया। घायल व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम दानिश खां पुत्र ताहिर खां निवासी कमलनैनपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर (उम्र लगभग 27 वर्ष) बताया, जो थाना हाजा का इनामी वांछित अभियुक्त है। अतः अभियुक्त को उसके अपराध व विधिक धाराओं से अवगत कराते हुए समय लगभग 22:46 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा आवश्यक उपचार हेतु सीएचसी पुवायां अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही उपरान्त उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दानिश पुत्र ताहिर (उम्र करीब 27 वर्ष) नि0 कमलनैनपुर थाना क्षेत्र कांट जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

1. मु0अ0स0 0739/2025 धारा 140(1)/103(1)/309(4)/238(क)/317(2) बी0एन0एस0 थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 756/2025 धारा 109(1) बी.एन.एस. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त दानिश :-

1. मु0अ0स0 425/2020 धारा 379,411 भादवि थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 664/2022 धारा 379,411 भादवि थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0स0 292/2019 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
4. मु0अ0स0 627/2020 धारा 379/411 भादवि थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
5. मु0अ0स0 839/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
6. मु0अ0स0 882/2020 धारा 307 भादवि थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
7. मु0अ0स0 883/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
8. मु0अ0स0 753/2021 धारा 307,323,325,352,354,384,452,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
9. मु0अ0स0 685/2022 धारा 457,380 भादवि थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
10. मु0अ0स0 62/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
11. मु0अ0स0 116/2023 धारा 307,457 भादवि थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
12. मु0अ0स0 125/2023 धारा 379,411 भादवि थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
13. मु0अ0स0 126/2023 धारा 411,413,414,420,482 भादवि थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
14. मु0अ0स0 248/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
15. मु0अ0स0 332/2023 धारा 323,325,504 थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
16. मु0अ0स0 301/2025 धारा 115(2),125बी, 281,352 बीएनएस थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
17. मु0अ0स0 709/2020 धारा 379,411,420,467,468,471 भादवि व 102,41 सीआरपीसी थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
18. मु0अ0स0 79/2023 धारा 379,411 भादवि थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर
19. मु0अ0स0 1078/2022 धारा 379,411 भादवि थाना बरादरी जनपद बरेली
20. मु0अ0स0 0739/2025 धारा 140(1)/103(1)/309(4)/238(क)/317(2) बी0एन0एस0 थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
21. मु0अ0स0 756/2025 धारा 109(1) बी.एन.एस. व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

थाना पुवायाँ क्षेत्रांतर्गत डी.पी.एस. स्कूल के समीप बने बाईपास पुल के पास, दिनांक 16.10.25 समय 22.46 बजे।

बरामदगी का विवरण :-

1.एक अदद तमंचा.315 बोर
2.दो अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
3.एक अदद खोखा कारतूस नाल मे फसा हुआ
4.एक अदद मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट हीरो कम्पनी
5.एक अदद मोबाइल फोन ओपो
6.कुल 1220 रु./-

पूछताछ अभियुक्त :-

अभियुक्त दानिश खाँ से घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी तथा अजय उर्फ अमरजीत सिंह व गुरसेवक की मित्रता जेल में हुई थी। दिनांक 06.10.2025 को पुवायां ट्रैवलर कार (संख्या UP 27 BB 5236) की बुकिंग मेरे साथी गुरसेवक द्वारा कराकर वह कार रोजा लाई गई थी। रोजा में मैं और अजय उर्फ अमरजीत सिंह गुरसेवक से मिले थे। मैंने ट्रैवलर कार के चालक अवनीश दीक्षित पुत्र विनोद दीक्षित निवासी मोहल्ला कसभरा तकिया, निगोही रोड, कस्बा व थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर की हत्या गुरसेवक पुत्र बलविन्दर निवासी ग्राम पटई, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर (हाल निवासी थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर) एवं अजय उर्फ अमरजीत सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी नेवदिया इटारा, थाना पिहानी, जनपद हरदोई के साथ मिलकर की थी। हमने गाड़ी लूटने के उद्देश्य से रोजा माल गोदाम के सामने चालक अवनीश दीक्षित का चालक सीट पर ही गमछे से गला कसकर हत्या कर दी और लाश को रोजा मंडी के सामने ट्रांसपोर्ट एरिया के पीछे स्थित रेलवे की खाली पड़ी झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या के उपरांत गाड़ी को बेचने के उद्देश्य से गुरसेवक एवं अजय उर्फ अमरजीत सिंह लेकर चले गए, जबकि मैं घटना के बाद रोजा से ही अपने घर चला गया था। अजय उर्फ अमरजीत सिंह की गिरफ्तारी थाना पारा, लखनऊ पुलिस द्वारा की जा चुकी है तथा गुरसेवक की पुलिस मुठभेड़ में थाना पारा, लखनऊ में मृत्यु हो चुकी है। पुलिस से बचने के लिए मैं आज इस रास्ते से नेपाल भागने की फिराक में था। साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रविकरन सिंह थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
2. निरीक्षक अपराध श्री राजेश कुमार थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
3. निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी एसओजी मय टीम जनपद शाहजहाँपुर
4. उपनिरीक्षक मनोज कुमार प्रभारी सर्विलॉस मय टीम जनपद शाहजहाँपुर
5. उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
6. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
7. हे0का0 491 रामनरेश थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
8. हे0का0 548 धीरज सिंह थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
9. का0 1445 प्रवीण कुमार थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
10. का0 180 निर्दोष कुमार थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
11. का0 1873 मनीष देशवाल थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर
12. का0 414 पूरनपाल थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर